

**शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-14 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:**

**01. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. श्रीमती ऊषा पत्नी आनंद सिंह निवासिनी ग्राम खालेपुरवा मौजा लक्ष्मणपुर जाट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-390/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**02. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. बेचूलाल पुत्र भगौती नि0 ग्राम दुल्हापुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-260/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. श्रीमती पत्नी स्व0 स्वामीनाथ नि0 बढईपुरवा गौरवा कानूनगो थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-257/21, 02. जहरा पत्नी स्व0 दुखी नि0 ग्राम हरीचरन पाही मौजा छाछपारा कानूनगों थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-259/21, 03. कुसुमा पत्नी देवी प्रसाद नि0 ग्राम खखरहिया मौजा बेसहूपुर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-260/21, 04. मोहनलाल पुत्र स्व0 जयलाल नि0 डिहवा मौजा बेसहूपुर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-261/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**04. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. जगराम पुत्र रामबदन ग्राम इमलडिहवा मौजा पतिजिया खुर्द थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-285/21, 02. विफई उर्फ रामराज पुत्र नान्हू नि0 इमलडिहवा मौजा पतिजिया खुर्द थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-286/21, धारा धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**05. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. शिवपूजन उर्फ नान पुत्र भगवानदास नि0 ग्रा0 खिरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-359/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**06. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. रवि प्रकाश उर्फ मोनू पुत्र रामतीरथ नि० कपूरपुर घसियार मण्डी थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-792/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**07. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. सवारे देवी पत्नी जियालाल नि० ग्राम पंडित पुरवा मौजा रायपुर ब्रह्मचारी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-351/21, 02. सरस्वती देवी पत्नी हरिश्चन्द्र उर्फ भुरे नि० ग्राम-पंडित पुरवा रायपुर ब्रह्मचारी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-352/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 23.10.2021**

**लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मोतीगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त कोमल पुत्र भोला को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना मोतीगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लडकी के पिता द्वारा थाना मोतीगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. कोमल पुत्र भोला नि० ग्राम नई बस्ती इमिलिया मौजा महेवा गोपाल थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०-248/2021 धारा 363 भादवि थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

उ०नि० मदनलाल गौतम मय टीम।